न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व मुकदमा नम्बर :— 56 / 2021

जीसीएमएस नम्बर :— 2021 / 162 वाद पत्र

उनवान

1. नारायण पिता प्रताप गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. प्रकाश पिता प्रताप गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. प्रतापी पत्नि प्रताप गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मीना पुत्री प्रताप गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. केशु पिता टेका गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गिरधारी पिता भूरा गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जगदीश पिता टेका गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. जोधा पिता टेका गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मूली पत्नि भूरा गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मांगु पिता टेका गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रामा पिता टेका गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. लछमण पिता हीरालाल गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सोहनी पत्नि हीरालाल गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. हजारी पिता टेका गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. हरदेव पिता हीरालाल गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज— वादी अधिवक्ता
2. प्रतिवादी संख्या 2, 5, 8, 9, 11 एकपक्षीय
3. लोकेशसिंह चारण — अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 3, 4, 6, 7, 10

निर्णय

दिनांकः— 12-1-2026

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि:—

1. ग्राम चारोट पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में वादीगण के पिता एवं पति प्रताप गोद पिता मोहन गुर्जर के खातेदारी अधिकारी की साबिक कृषि

आराजियात ग्राम चारोट प0ह0 खेमाणा के वेरून हल्का आवादी में साविक खाता संख्या 127 में अंकित साविक आ.सं. 570/1 रकवा 3 बीघा दर्ज रेकॉर्ड हैं जिस पर वादीगण अपने पिता के समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रमाण में पुरानी जमाबंदी सम्वत् 2049 से 2052 की वादपत्र के साथ पेश की हैं।

2. वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित साविक कृषि आराजियात वादीगण के एकल आधिपत्य एवं स्वामित्व की हैं जिस पर वादीगण के पिता अपने पिता के समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा उनके बाद से वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे। उक्त कृषि आराजियात में प्रतिवादीगण का कोई हक एवं हिस्सा नहीं हैं तथा न ह उनका कोई कब्जा हैं।

3. ग्राम चारोट में भुप्रबंध होने से वादीगण की साविक कृषि आसं. 570/1 रकवा 3 बीघा के नवीन नम्बर 892 रकबा 0.65 हैक्ट कायम किए गए। प्रमाण में मिलान क्षेत्रफल की नकल, वर्तमान जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश हैं। भुप्रबंध के दौरान भुप्रबंध विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वादीगण की साविक कृषि आराजियात के नवीन नम्बर व रकवा तो सही कायम किया गया परंतु बिना किसी विधिक आदेश के वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमी में सेटलमेन्ट के बाद सम्वत् 2057 से 2076 की रोटेशन की जमाबंदी में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आ.सं 892 रकबा 0.65 हैक्ट में कोई हक एवं हिस्सा नहीं हैं तथा न ही उनका कोई कब्जा हैं। जिससे वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया हैं कि वादीगण वादग्रस्त आ.सं. 892 रकबा 0.65 हैक्ट संपूर्ण के खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण की भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास करने लगे व वादग्रस्त भूमि को रहन, बय, बक्षीस कर वादीगण को जबरन बेदखल करने की धमकी देने लगे जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाया जाना आव यक हो गया है।

4. अतः एव श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जाए कि ग्राम चारोट के खाता संख्या 70 में अंकित आराजी संख्या 892 रकवा 0.65 है0 के वादीगण खातेदार का तकार है तदानुसार प्रतिवादीगण के नाम हटाया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम दज्र करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 12 को प्रदान फरमाया जाए। साथ ही बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निशेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जाए कि प्रतिवादीगण वादवर्णित आराजियात में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा वादीगण को बेदखल कर देवे तो जरिए आदेशात्मक आज्ञा के पुनः वादीगण के नाम दर्ज करवा कब्जा वादीगण को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 2, 5, 8, 9, 11 बावजुद सूचना के

उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही दिनांक 14.12.2021 करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 1 3, 4, 6, 7, 10 की ओर से अधिवक्ता लोकेशसिंह चारण द्वारा अधिकार पत्र पेश किया गया जवाब प्रस्तुत नही किया गया जिससे जवाब बन्द दिनांक 12.07.2023 को किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 12 औपचारिक पक्षकार है।

6. प्रकरण में वादी नारायण पिता प्रताप गुर्जर निवासी चारोट की ओर से भापथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित किया कि वादीगण के पिता व पति प्रताप गोद पिता मोहन गुर्जर के खातेदारी अधिकारों की साविक आराजी संख्या 570/1 रकबा 3 बीघा दर्ज रेकार्ड है जिस पर वादीगण अपने पिता के समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। ग्राम चारोट का भूप्रबन्ध होने से साविक आराजी संख्या 570/1 के नवीन नम्बर 892 रकबा 0.65 हे0 कायम किये गये। भुप्रबंध के दौरान भुप्रबंध विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वादीगण की साविक कृषि आराजियात के नवीन नम्बर व रकबा तो सही कायम किया गया परंतु बिना किसी विधिक आदेश के वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमी में सेटलमेन्ट के बाद सम्वत् 2057 से 2076 की रोटेशन की जमाबंदी में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आ.सं 892 रकबा 0.65 हैक्ट में कोई हक एवं हिस्सा नहीं हैं। जिससे वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घौषणात्मक डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया हैं। कि वादीगण वादग्रस्त आ.सं. 892 रकबा 0.65 हैक्ट संपूर्ण के खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण की भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास करने लगे व वादग्रस्त भूमि को रहन, बय, बक्षीस कर वादीगण को जबरन बेदखल करने की धमकी देने लगे जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण के पक्ष में स्थाई निशेधाज्ञा जारी फरमाया जाना आव यक हो गया है कि प्रतिवादीगण, वादीगण की भूमि को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस कर वादीगण को बेदखल कर देवे तो जरिए आदेशात्मक आज्ञा के पुनः वादीगा के नाम दर्ज करवाई जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जाए।

7. वादपत्र के समर्थन में वादी नारायण पिता प्रताप गुर्जर द्वारा दस्तावेज प्रदर्श कराये गये जो निम्न है :–

क्र.स.	विवरण	प्रदर्श	वि.वि.
1	साविक जमाबन्दी संवत 2029 से 2032 रजिस्टर संख्या 192 पृष्ठ संख्या 18	प्रदर्श–1	
2	साविक जमाबन्दी संवत 2049 से 2052	प्रदर्श–2	
3	मिलान क्षेत्रफल की नकल	प्रदर्श–3	
4	सेटलमेंट के बाद की जमाबन्दी संवत 2057 से 2060	प्रदर्श–4	
5	वर्तमान जमाबन्दी संवत 2073 से 2076	प्रदर्श–5	
6	साविक जमाबन्दी संवत 2029 से 2032रजिस्टर संख्या 38 पृष्ठ संख्या 127	प्रदर्श–6	
7	नामान्तरण 251–भूमि आंवटन का दिनांक 14.07.1975	प्रदर्श–7	
8	नवीन जमाबन्दी संवत 2006 से 2008	प्रदर्श–8	
9	नवीन जमाबन्दी संवत 2069 से 2072	प्रदर्श–9	
10	नवीन जमाबन्दी संवत 2073 से 2076	प्रदर्श–10	

8. वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादी के पिता के नाम साविक आराजी संख्या 570/1 रकबा 3 वीघा वादपत्र मे वर्णित है। ग्राम चारोट का भुप्रवन्ध के समय जमावन्दी कायम की गई उसमें उसके पूर्वज में प्रतिवादीगण के नाम जोड़ दिए गए है। कोई विक्रय या न्यायिक आदेश के बिना नाम जोड़े गए। वादी ने प्रताप पिता मोहन के नाम का आवंटन के नामान्तकरण के दस्तावेज पेश किए गए है। धारा 88 के बाद में लिमिटेशन एक्ट लागु नही है। जमावन्दी सवंत 2029 से 2032, 2049 से 2052, 2065 से 2068, 2065 से 2072, 2073 से 2076, 2057 से 2076 तक की प्रस्तुत की है। एवं नामान्तरण की प्रतियां पेश की है। संवत 2053 से 2056 की जमावन्दी नही बनी क्योकि कुछ गांवो में आंवटन की कार्यवाही चालु थी। प्रतिवादीगण ने अपना कोई पक्ष नही रखा है। गलत इन्द्राज को सुधारा जाकर वादपत्र को स्वीकार फरमाया जाए।

9. न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का गंभीरता से अध्ययन किया तो पाया कि साविक आराजी संख्या 570/1 जमावन्दी संवत 2049 से 2052 में प्रताप पिता मोहन गुर्जर सा. देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी। प्रदर्श–7 में अंकन अनुसार वादग्रस्त आराजियात का नामान्तरण 251 दिनांक 14.07.1975 को प्रताप पिता मोहन गुर्जर के नाम आवंटन के आधार पर फैसल किया गया। संवत 2053 से 2056 की जमावन्दी नही बनी होना बताया गया क्योकि कुछ ग्राम में सेटलमेन्ट की कार्यवाही चालु थी। प्रदर्श–3 मिलान खसरा के अनुसार वादग्रस्त आराजियात साविक नम्बर 570/1 रकबा 3 वीघा के नवीन नम्बर 892 रकबा 0.65 है0 कायम हुए। प्रदर्श–4 में अंकन अनुसार वादग्रस्त आराजियात जिसके नवीन नम्बर 892 रकबा 0.65 है0 खाता संख्या 76 है उसमे आराजियात के खातेदारो के रूप में टेका पिता सरीराम हीरालाल, प्रतापचन्द गिरधारीलाल पिता भुरा मूली बेवा भुरा गुर्जर के नाम अंकित है। वादग्रस्त आराजियात में उक्त खातेदारो के नाम किस आधार पर अंकित किए गए इसके सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नही है। वादपत्र में संलग्न दस्तावेजो में प्रतिवादीगण का नाम किस आधार पर जमावन्दी में आया यह स्पष्ट नही है एवं इस बात का प्रमाण भी नही है कि कोई लिपिकीय त्रुटि रही हो। परन्तु दस्तावेजो के अभाव में इस अंकन को त्रुटिपूर्ण मान लेने का भी कोई आधार नही है। जमावन्दी संवत 2057 से 2076 की में प्रतिवादीयों के नाम वादग्रस्त आराजियात में आ चुके थे, साथ ही हीरालाल, प्रतापचन्द, गिरधारी पुत्र भूरा का खातेदार के रूप में अंकन यह स्पष्ट करता है कि प्रतापचन्द के पिता भूरा गुर्जर थे। प्रताप को वादपत्र में मोहन का गोदपुत्र बताया गया है। परन्तु रेकार्ड में इससे जुड़े दस्तावेज या साक्ष्य जैसे गोदनामा उपलब्ध नही कराया गया है। यदि खातेदार के रूप में प्रतापचन्द पिता भूरा गुर्जर का अंकन त्रुटिपूर्ण है तो प्रतापचन्द ने अपने जीवनकाल में इससे सुधारने का कोई प्रयास नही किया। उपलब्ध दस्तावेजो से यह स्पष्ट नही है कि प्रताप पिता मोहन एवं प्रताप पिता भूरा गुर्जर एक ही व्यक्ति है या दो अलग–अलग व्यक्ति है। पत्रावली मे ना तो मोहन गुर्जर ना ही भुरा गुर्जर का सजरा पेश

किया गया है। वादी द्वारा वर्ष 2021 में पत्थरगढ़ी की नकल लेने के पर अन्य खातेदारो के नाम जमावन्दी में अंकन होना बताया गया। जबकि प्रदर्श–8 जमाबन्दी संवत 2065 से 2068 में अंकन अनुसार नामान्तरण संख्या 123/05.06.2010 को खोले गए विरासत के नामान्तरण में प्रतापचन्द्र फोत के बजाय नारायण, प्रकाश पिता प्रतापचन्द्र मीना पुत्री प्रतापचन्द्र प्रतापी बेवा प्रतापचन्द्र के नाम आराजियात दर्ज रेकार्ड करी गई है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादीगण को वर्ष 2010 में ही इस बात की जानकारी थी कि जमाबन्दी में अन्य सहखातेदारो के नाम अंकित है। दिनांक 25.03.1975 को प्रताप पिता मोहन गुर्जर को वादग्रस्त आराजियात आंवटित हुई है। वादपत्र में मोहन को प्रताप का गोद पिता बताया गया है। वादग्रस्त आराजियात पर आंवटन के पश्चात् प्रताप पिता मोहन का एकल स्वामित्व बताया गया है परन्तु प्रताप पिता मोहन गुर्जर एवं प्रतापचन्द्र पिता भुरा गुर्जर के सम्बन्ध में स्पष्टतया कुछ भी साबित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण वादपत्र को साबित कराने में सफल नही होने से वादीगण का वादपत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् साक्ष्यों के अभाव में अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12/1/2026 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला-भीलवाड़ा